उत्तर प्रदेश सरकार

(29)

वित (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या बी-3-1419/दस-5-65

लखनऊ, 2 अगस्त, 1974

कार्यालय-ज्ञाप

सचिवालय के समस्त अनुभागों को ज्ञात होगा कि शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर इस समय निम्नलिखित दरों पर प्रभावी ब्याज लगाया जाता है:—

(1) भवन निर्माण अग्रिम .. 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष

(2) मोटर सवारियों को खरीदने के लिये अग्रिम .. 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष

(3) साइकिल अग्रिम .. 5 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष

2—अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में जो अग्रिम स्वीकृत किये जायं उसमें ब्याज दर प्रभावी ब्याज दर से 3 1/2 प्रतिशत अधिक निर्धारित की जाय और नियत समय पर ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान पर 3 1/2 प्रतिशत की छूट दी जायगी अर्थात् अब भवन निर्माण अग्रिम (जिसमें भवन क्रय करने तथा भवन की मरम्मत हेतु अग्रिम भी शामिल है) तथा मोटर सवारियां अग्रिम पर ब्याज की दर 9 1/2 प्रतिशत वार्षिक होगी और साइकिल अग्रिम पर ब्याज की दर 9 प्रतिशत वार्षिक होगी। अगर सम्बन्धित राज्य कर्मचारी देय अग्रिम का प्रतिदान तथा ब्याज का भुगतान ठीक समय पर करेगा तो उसको 3 1/2 प्रतिशत की छूट देकर प्रभावी दर पर ही ब्याज लिया जायगा अर्थात् मोटर सवारियां अग्रिम/भवन निर्माण अग्रिम पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा साइकिल अग्रिम पर 5 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लिया जायगा।

3—ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

सुरेन्द्र मोहन,
संयुक्त सचिव।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

संख्या बी-3-1419 (1)/दस-5-65 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र मोहन,
संयुक्त सचिव।